भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1935
11 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

खजूर, ताड़ और शुष्क बागवानी प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना

1935. श्री उम्मेदा राम बेनीवालः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार पश्चिमी भारत में खजूर, ताड़ और शुष्क बागवानी प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा दे रही है;
(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं, प्रदान की गई वित्तीय सहायता सहित अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है, और पश्चिमी भारत में किन राज्यों/जिलों में प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित/स्वीकृत की गई हैं;
(ग) क्या सरकार का किसानों को काजू के पौधे उपलब्ध कराने और काजू आधारित बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना लागू करने या शुरू करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार देश के अन्य सूखा प्रभावित क्षेत्रों विशेषकर राजस्थान, विदर्भ, कच्छ, सौराष्ट्र और मराठवाड़ा में खजूर, ताड़ और शुष्क बागवानी प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए इसी तरह की पहल कर रही है; और
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) और (ख): खजूर, ताड़ और बागवानी आधारित उद्योगों के प्रसंस्करण सहित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी दो केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिये उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के माध्यम से संबंधित अवसंरचना की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है।

इसके अलावा, एमओएफ़पीआई प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना भी लागू कर रहा है। ये तीनों योजनाएं पश्चिमी भारत सहित पूरे देश में लागू की गई हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत पश्चिमी भारत में, योजनाओं की शुरुआत से लेकर अब तक मंज़ूर की गई परियोजनाओं की संख्या नीचे दी गई है-

क्र. सं.	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश**	**पीएमकेएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या**	**पीएमएफएमई के अंतर्गत स्वीकृत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की संख्या**	**पीएलआईएसएफ़पीआई के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर स्वीकृत किए गए आवेदनों की संख्या**

1.	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	1	12	0
2.	गोवा	2	137	1
3.	गुजरात	109	1010	32
4.	महाराष्ट्र	244	26172	41
5.	राजस्थान	55	1351	6

(ग): काजू और कोको निदेशालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत, उक्त निदेशालय देश में काजू की खेती को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)के अंतर्गत विकास योजनाए लागू कर रहा है। निदेशालय द्वारा लागू किए जा रहे प्रोग्राम की जानकारी **अनुबंध** में दी गई है।

(घ) और (ड़): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों और गुजरात और राजस्थान के कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों सहित पूरे देश में संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार खजूर, ताड़ और बागवानी प्रसंस्करण आधारित उद्योगों सहित विभिन्न प्रकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए भावी उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इसके अलावा, खजूर के प्रसंस्करण के लिए अनुसंधान पहल के तौर पर, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की प्रधानमंत्री - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 74 लाख रुपये की आर्थिक मदद से, सरदारकृषिनगर दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मुंद्रा-कच्छ (गुजरात) में खजूर अनुसंधान केंद्र में एक प्रसंस्करण यूनिट बनाई गई।

*****

अनुबंध

दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने वाले "खजूर, ताड़ और शुष्क बागवानी प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1935 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

काजू और कोको विकास निदेशालय(एमआईडीएच) की काजू विकास योजनाएं

क्र. सं.	**योजना**	**उद्देश्य**
1.	ड्रिप के साथ एकीकरण के बिना काजू के नए बागानों की स्थापना	इस प्रोग्राम के अंतर्गत किसानों के खेत में काजू की ज़्यादा पैदावार वाली किस्मों के प्रतिरुप के साथ नए बागान बनाने की अभिकल्पना की गई है
2.	काजू उच्च घनत्व वृक्षारोपण की स्थापना	इस प्रोग्राम के अंतर्गत किसानों के खेत में काजू की ज़्यादा पैदावार वाली किस्मों के साथ नए उच्च घनत्व वृक्षारोपण विकसित करने की अभिकल्पना की गई है
3.	जीर्ण काजू प्लांटेशन का पुनःरोपण- i. जीर्ण काजू प्लांटेशन को हटाना ii. उच्च उपज वाली किस्मों के साथ रोपण और iii. आईएनएम/आईपीएम और सिंचाई के लिए इनपुट लागत	विभिन्न राज्यों में कॉर्पोरेशन के पुराने बागानों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना, पुराने बागानों को हटाकर उनकी जगह काजू की ज़्यादा पैदावार वाली किस्में लगाना।
4.	ड्रिप सिंचाई के साथ उच्च घनत्व वाले वृक्षारोपण वाले प्रदर्शन भूखंडों की स्थापना	एक हेक्टेयर के छोटे क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई के साथ किसानों के खेत/सार्वजनिक खेतों में ज़्यादा पैदावार वाली किस्मों के साथ काजू की उच्च घनत्व वृक्षारोपण तकनीक का प्रदर्शन करना।
5.	बिना ड्रिप सिंचाई के उच्च घनत्व वाले वृक्षारोपण वाले प्रदर्शन भुखंडो की स्थापना	किसानों के खेत में ज़्यादा पैदावार वाली किस्मों के साथ काजू की उच्च घनत्व वृक्षारोपण तकनीक का प्रदर्शन करना।
6.	ड्रिप सिंचाई के साथ सामान्य घनत्व में उच्च उपज वाली किस्म के प्रदर्शन भूखंडों की स्थापना	किसानों के खेत/पब्लिक फार्म में ड्रिप सिंचाई के साथ नवीनतम ज़्यादा पैदावार वाली किस्मों को दिखाना।
7.	बिना ड्रिप के सामान्य घनत्व के साथ विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन	किसान के खेत/सार्वजनिक खेतों में नवीनतम उच्च उपज वाली किस्मों का प्रदर्शन करना।
8.	एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन/ एकीकृत कीट प्रबंधन को बढ़ावा देना	आईएनएम/आईपीएम तरीकों को बढ़ावा देकर काजू और कोको के बागानों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना
9.	छोटा काजू/कोको नर्सरी की स्थापना	नई नर्सरी बनाकर देश में काजू की नई रोपाई और दोबारा रोपाई के लिए ज़्यादा पैदावार वाली किस्मों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अच्छी गुणवत्ता की रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण।

10.	मौजूदा नर्सरियों का उन्नयन/आधुनिकीकरण (संख्या में)	मौजूदा काजू/कोको नर्सरी की अवसंरचना सुविधाओं को अपग्रेड करना ताकि रोपण सामग्री की गुणवत्ता और मात्रा पक्की हो सके, और मान्यता मानदंड पूरे हो सकें।
11	ड्रिप सिंचाई और फर्टिगेशन सुविधा के साथ काजू मदर ब्लॉक की स्थापना करके काजू नर्सरी का उन्नयन	रिसर्च स्टेशन/एसएयू/आईसीएआर इंस्टीट्यूट/मौजूदा काजू नर्सरी में ड्रिप सिंचाई और फर्टिगेशन यूनिट के साथ ज़्यादा पैदावार वाली किस्मों वाले मदर ब्लॉक बनाकर नर्सरी के अवसंरचना को अपग्रेड करना।
12.	जिला स्तरीय संगोष्ठी	काजू के प्रचार को बढ़ावा देने के लिए, विभिन्न राज्यों में ज़िला लेवल पर सेमिनार करके, खेती, प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात के दायरे में आने वाले किसान समुदाय और दूसरे टारगेट ग्रुप तक नवीनतम उत्पादन तकनीक पहुंचाकर, ज़ोरदार पब्लिसिटी के तरीके अपनाना।
13.	काजू मेला/दिवस	विभिन्न जिला/राज्यों में मेला/फील्ड दिवस का आयोजन करके किसानों/जनता को काजू की खेती के महत्व, दायरा, नवीनतम तकनीक से जागरूक करनाऔर इसे फायदेमंद उद्यम बनाना
14.	बेरोज़गार महिला किसानों और युवा किसानों के लिए काजू एपल के इस्तेमाल की ट्रेनिंग	अनुसंधान संस्थानों. के साथ मिलकर बेरोज़गार महिला किसानों और युवा किसानों को काजू एपल के उत्पाद बनाने की प्रशिक्षण देकर काजू एपल के इस्तेमाल को लोकप्रिय बनाना।
15.	काजू उत्पादन तकनीकों पर किसानों का प्रशिक्षण	काजू और कोको खेती के विभिन्न पहलुओं, जिसमें उत्पादन तकनीक, किस्में, उच्च घनत्व वाले पौधे, जैविक खेती,आईएनएम/आईपीएम आदि शामिल है, में किसानों को सही मौसमी प्रशिक्षण देता है।
16.	राज्य के बाहर एक्सपोज़र विज़िट	राज्यों के काजू उगाने वाले जिलों के आदिवासी और दूसरे किसानों को दूसरे राज्यों के पारंपरिक काजू उगाने वाले जिलों से मिलवाना ताकि उन्हें दूसरे राज्यों मेंअपनाये गये उत्पादन और प्रबंधन के तरीकों से परिचित कराया जा सके।
17.	एक्सपोज़र विज़िट- राज्य के अंदर	राज्यों के काजू उगाने वाले जिलों को राज्य के पारंपरिक काजू उगाने वाले जिलों से परिचित कराना ताकि उन्हें उत्पादन और प्रबंधन के तरीकों के बारे में पता चल सके।
18.	काजू की प्राथमिक/न्यूनतम प्रसंस्करण इकाई की स्थापना	काजू की प्राथमिक/न्यूनतम प्रसंस्कृत ईकाई स्थापित करना।

****